

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)



APP
CHI

ज अदालत

SDO

कलेक्टर का कार्यालय

मुकाम

यसवा

प्रमुखदमा

रमेश चंद्र वर्मा

यनाम

श्री. लक्ष्मी वर्मा

प्रा. फर 131 LR Act

सन

70/2023

<p>हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 31.5.2023</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुए</p>
<p>प्रशनगत प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण रमेशचंद्र, लल्लूसम-मुन्न मूलचंद जाति जांगिड निवासी आनन्दपुरा तह.यसवा द्वारा अंतर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट के तहत जरिये एडवोकेट श्री श्यामसुन्दर शर्मा एवं दीपाशा सक्सेना के द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वगैरह के विरुद्ध पेश की गई है।</p> <p>प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते धारा 131 एल.आर.एक्ट का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर, अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी होकर, पत्रावली दिनांक 30.6.2023 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी यसवा (दोसा)</p> <p>30/6/23 पञ्जाबी क्राइमिनेल को प्रशासन गांव के संगे क्राइमिनेल-2023 के पत्र वास्ते पर शर्मा एवं दीपाशा के प्रतिवादीगण मोतीलाल वर्मा के पुत्रावली के माध्यम से उपस्थित क्राय, प्रतिवादीगण ने लिफ्टेफार्सी दी कि यदि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को निष्कारित किया जाता है तो क्राय प्रतिवादीगण द्वारा या क्राय प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध नहीं किया जावेगा, उनकी यह लिफ्टेफार्सी होगी। तहसीलदार रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिखा गया प्रतिवादी मुकाम/गोविन्द क्राय मोतीलाल वर्मा के पुत्रावली के माध्यम से क्राय के काल से Affidavit पेश किये गये। जिन्हें शामिल मिलने किया गया। प्रकरण के निर्णय सिविल-वेल्थ से मज्जमें क्राय में उपस्थित मोतबिरान से जानकारी हासिल कर, जुलै न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय वृथक से लिखा जाकर शामिल मिलने किया गया जो शामिल मिलने है। पञ्जाबी क्राइमिनेल को प्रशासन द्वारा क्राइमिनेल के माध्यम से काम हो</p>	

रमेश चंद्र

(महेश चंद्र वर्मा)

श्री. लक्ष्मी वर्मा



उपखण्ड अधिकारी
यसवा (दोसा)